निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 106/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
रंगलाल पुत्र श्री मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम रामनगर, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लादूराम पुत्र श्री भौरिया जाति मीना निवासी ग्राम रामनगर, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू में लम्बित वाद संख्या 94/2021 व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 67/2021 ब उनवानी रंगलाल बनाम लादूराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु।

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से है।

निर्णय दिनांक 05.10.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष वाद संख्या 94/2021 व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 67/2021 ब उनवानी रंगलाल बनाम लादूराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 21.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया था। दिनांक 12.07.2021 को दीगर अजनबी केताग़ण की ओर से अधिक्ता उपस्थित हुये तथा बिना पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये सीधे ही 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन मुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रार्थी की ओर से घोर विरोध किये जाने पर भी अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र को पत्रावली में ले लिया गया। अजनबी केतागण के द्वारा दिनांक 12.07.2021 को अप्रार्थी

संख्या 2 के चैम्बर से निकलने के बाद बाहर आकर प्रार्थी को एलानिया रूप से कहा गया कि उनकी अप्रार्थी संख्या 2 से बात हो गई है तथा उन्होंने अप्रार्थी संख्या 2 को फोन करवा दिया। प्रकरण में छोटी तारीख दे कर अप्रार्थी संख्या 1 व अजनबी केतागण वाद ग्रस्त सम्पत्ति को स्थगन से मुक्त करवा लेंगे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू में सभी प्रकरणों में वर्तमान से सामान्य तारीख पेशी अगस्त माह में लगाई जा रही है । दिनांक 13.07.2021 को भी तारीख पेशी 24.08.2021 दी गई थी तथा इससे पूर्व दिनांक 26.08.2021 की पेशी दी गई, परन्तु इस प्रकरण में जल्दी से स्थगन मुक्त करने के लिए दिनांक 26.07.2021 की तारीख पेशी लगाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व अनजबी केतागण के द्वारा धमकी दी गई कि उन्होंने स्थगन के बावजूद भी वादग्रस्त सम्पत्ति की जिस प्रकार से रजिस्ट्री करवाली उसी प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर लेंगे व स्थगन को तुडवा कर राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करवा देंगें। जब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से इस बाबत शिकायत की तो अप्रार्थी संख्या 2 के हाव भाव व मनोदशा से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में है जो कि अजनबी केतागण के पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्र के बिना ही 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ग्रहण कर स्थगन मुक्त करने पर आमादा हो रहे है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विक्रय पत्र करवाये जाने के कारण एवं अनजबी केतागण दावें में पक्षकार नहीं होने के कारण उनको 151 सी पी सी प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोक स्टेण्डाई नहीं है । इस प्रकार पीठासीन अधिकारी के द्वारा बिना न्यायिक प्रकिया अपनाये अजनबी केता का प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर ले लिया जो अन्याय पूर्ण है। अप्रार्थी संख्या 2 की कार्यशैली को देखते हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अजनबी केतागण के द्वारा दी गई धमकियों को देखते हुये प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 से निष्पक्ष न्याय प्राप्ति की अब कोई आशा नहीं रही है। अगर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जाती है तो प्रार्थी के साथ अन्याय हो जावेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार ऐसी दशा में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक एवं उचित है। अतः न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है, इसलिए प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कराने की मंशा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। फिर भी यदि मान्य न्यायालय प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करना आवश्यक समझता है, तो तारीख नियत करके अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में आरोपों को अस्वीकार करते हुये निराधार एवं असत्य बताया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है और अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता भी प्रकरण में

तारीख निश्चित करके अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। इसलिए न्यायहित में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 94/2021 व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 67/2021 ब उनवानी रंगलाल बनाम लादूराम व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 28.10.2021 को अग्रिम सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय मु॰ सांगानेर में उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

5/10/21

(अनवर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर